"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 जुलाई 2013—आषाढ़ 21, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रविन्दार के. वली (RAVINDARR K WALI) पिता त्रिलोकी नाथ वली, (TRILOKI NATH WALI) उम्र-64 वर्ष, निवासी- 127, सुन्दर नगर, सुपेला भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रविन्द्र कुमार वली (RAVINDER KUMAR WALI) अंकित है, को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम रविन्दार के. वली (RAVINDARR K WALI) पिता त्रिलोकी नाथ वली रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे रविन्दार के. वली (RAVINDARR K WALI) पिता त्रिलोकी नाथ वली (TRILOKI NATH WALI) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
रविन्द्र कुमार वली (RAVINDER KUMAR WALI) पिता-त्रिलोकी नाथ वली (TRILOKI NATH WALI) निवासी-127, सुन्दर नगर, सुपेला, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	रविन्दार के. वली (RAVINDARR K WALI) पिता-त्रिलोकी नाथ वली (TRILOKI NATH WALI) निवासी-127, सुन्दर नगर, सुपेला, भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चिरकुट लाल (CHIRKUT LAL) आ. श्री बचन प्रसाद, उम्र-35 वर्ष, निवासी-वृंदानगर, वार्ड नं.-19, गणेश मंदिर के पास, केम्प-1, भिलाई, पोस्ट-सुपेला, थाना-छावनी, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं दक्षिण -पूर्व-मध्य रेलवे में वैगन रिपेयरिंग शाप, रायपुर में मेकेनिकल विभाग के तकनीशियन-3 के पद पर कार्यरत हूं यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं शासकीय व अर्धशासकीय तथा अन्य अभिलेखो में मेरा नाम चिरकुट लाल (CHIRKUT LAL) अंकित है को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम चितरंजन लाल गुप्ता (CHITRANJAN LAL GUPTA) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब से मुझे चितरंजन लाल गुप्ता पिता श्री बचन प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
चिरकुट लाल (CHIRKUT LAL) आत्मज-बचन प्रसाद निवासी-वृन्दा नगर, वार्ड नं. 19 गणेश मंदिर के पास, केम्प-1, भिलाई पोस्ट-सुपेला, थाना-छावनी तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 490023	चितरंजन लाल गुप्ता (CHITRANJAN LAL GUPTA) आत्मज-बचन प्रसाद निवासी-वृन्दा नगर, वार्ड नं. 19 गणेश मंदिर के पास, केम्प-1, भिलाई पोस्ट-सुपेला, थाना-छावनी तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 490023

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अंजली जैन पति अरूण गंगवाल (जैन), निवासी-बाल गोविंद चौक, मस्जिद के पास, राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व मैं कु. ललिता जैन पिता मन्नालाल जैन निवासी-द्वारा शिवम ट्रेडर्स, सदर बाजार, परतवाड़ा, अमरावती (महाराष्ट्र) के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों व अन्य शासकीय, अशासकीय अभिलेखों में अंकित है. मेरा विवाह दिनांक 15-2-1997 को अरूण गंगवाल (जैन) के साथ सम्पन्न हुआ. यह कि विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती अंजली जैन पति अरूण गंगवाल (जैन) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब से मुझे श्रीमती अंजली जैन पति अरूण गंगवाल (जैन) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. ललिता जैन पिता-मन्नालाल जैन निवासी-द्वारा-शिवम ट्रेडर्स, सदर बाजार परतवाड़ा, अमरावती (महाराष्ट्र)	श्रीमती अंजली जैन पति-अरूण गंगवाल (जैन) निवासी-बाल गोविंद चौक मस्जिद के पास, राजनांदगांव (छ. ग.) 491441

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कशिश कुकरेजा पति श्री शैलेन्द्र कुकरेजा, उम्र-31 वर्ष, निवासी-गली नं.-03, फाफाडीह नाका, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व में कु. गीता डोडवानी पिता आनंदराम डोडवानी, निवासी-सी-104, गुरूघासीदास सोसायटी, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ. ग.) के नाम से जानी, पहचानी, पुकारी जाती थी तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य अभिलेखो में अंकित है. यह कि मेरा विवाह दिनांक 18-11-2009 को शैलेन्द्र कुकरेजा के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर अपना नया नाम श्रीमती कशिश कुकरेजा ध. प. श्री शैलेन्द्र कुकरेजा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे श्रीमती कशिश कुकरेजा पति श्री शैलेन्द्र कुकरेजा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. गीता डोडवानी पिता-श्री आनंदराम डोडवानी निवासी-सी-104 गुरूघासीदास सोसायटी न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ. ग.)	श्रीमती कशिश कुकरेजा पति- श्री शैलेन्द्र कुकरेजा निवासी-गली नं. 03 फाफाडीह नाका, रायपुर तह. व जिला- रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, आलोक अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल, निवासी-सिरसागेट, भिलाई-3, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य अभिलेखो में मेरा नाम राहुल अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल दर्ज चला आ रहा है को परिवर्तित कर मैं अपना नया नाम आलोक अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे आलोक अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
राहुल अग्रवाल पिता-अशोक अग्रवाल निवासी-सिरसागेट, भिलाई-3 तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	आलोक अग्रवाल पिता-अशोक अग्रवाल निवासी-सिरसागेट, भिलाई-3 तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. पायल कपूर पिता सत्यानंद कपूर, उम्र-28 वर्ष, जाति-कंवर, स्थाई निवासी-ग्राम-चन्दागढ़, तहसील-पत्थलगांव, जिला-जशपुर नगर (छ. ग.), हाल निवासी-नया सरकंडा, बरछापारा, बिलासपुर, तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.) की हूं. मेरा जन्म दिनांक 14-01-1985 है. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों व अन्य अभिलेखो में मेरा घरेलू नाम कु. शशि कपूर पिता सत्यानंद कपूर अंकित है को परिवर्तित कर अपना नया नाम कु. पायल कपूर पिता सत्यानंद कपूर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब से मुझे कु. पायल कपूर पिता श्री सत्यानंद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
कु. शशि कपूर पिता-सत्यानंद कपूर स्थाई निवासी-ग्राम-चन्दागढ़ तहसील-पत्थलगांव जिला-जशपुर नगर (छ. ग.) हाल निवासी-बरछापारा नया सरकंडा, बिलासपुर तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)	कु. पायल कपूर पिता-सत्यानंद कपूर स्थाई निवासी-ग्राम-चन्दागढ़ तहसील-पत्थलगांव जिला-जशपुर नगर (छ. ग.) हाल निवासी-बरछापारा नया सरकंडा, बिलासपुर तह. व जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मई 2013

प्र. क्र./8/ब-113 (1)/वर्ष 2012-13

क्रमांक/352/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2013.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सीताराम अग्रवाल, निवासी 27 शाला मार्ग, चौबे कालोनी, रायपुर द्वारा श्री सीताराम शकुन्तला देवी चेरीटेबल ट्रस्ट, 27 शाला मार्ग, चौबे कालोनी रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री सीताराम शकुन्तला देवी चेरीटेबल ट्रस्ट, 27 शाला मार्ग, चौबे कालोनी, रायपुर.
2.	चल संपत्ति	:	1,00,000/- रु. नगद (एक लाख रुपये मात्र)
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 02-07-2013 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 27-05-2013 को जारी.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2013

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2012-13

क्रमांक/138/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2013.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक विजय कुमार कटारिया वल्द स्व. चम्पालाल कटारिया निवासी टैगोर नगर रायपुर ने "ऋषभ फाउण्डेशन ट्रस्ट" डी-14 शैलेन्द्र नगर रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	"ऋषभ फाउण्डेशन ट्रस्ट" डी-14 शैलेन्द्र नगर रायपुर, तहसील व जिला रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	5100/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यमें से दिनांक 05-07-2013 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10-06-2013 को जारी.

रायपुर, दिनांक 19 जून 2013

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2012-13

क्रमांक/353/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2013.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक विनोद कुमार जैन पिता हनुमान प्रसाद जैन निवासी रोमानेस्कु विला लभाण्डी रायपुर ने "श्री दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट" ए-4 रोमानेस्कु विला लभाण्डी रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	"श्री दिगम्बर जैन मंदिर ट्रस्ट" ए-4 रोमानेस्कु विला लभाण्डी, रायपुर, तहसील व जिला-रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	20,000/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 26-07-2013 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19-06-2013 को जारी.

बी. सी. साहू,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं.

वनमंडलाधिकारी, मरवाही वनमंडल पेंड्रारोड, जिला-बिलासपुर

पेंड्रारोड, दिनांक 28 जून 2013

आ. क्र./स्था./3930.— वन परिक्षेत्र अधिकारी पेण्ड्रा के पत्र क्रमांक 390 दिनांक 23-05-2013 द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नानुसार दर्शाये गये पासिंग हेमर वनरक्षक श्री शिवशंकर तिवारी इंदिरा उद्यान को नीलगिरी कूप कक्ष क्रमांक 1400 रकबा 25 हे. में विदोहन कार्य हेतु जारी किया गया था, जिसे परिसर रक्षक द्वारा गुमा दिया गया है, हेमर की खोज के समस्त प्रयास असफल रहे हैं.

अत: वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हूये गुमशुदा पासिंग हैमर आकृति के अभिलेख को अपलेखित किया जाता है, हैमर की कीमत स्टोर स्टॉक रजिस्टर में दर्ज ना होने के कारण वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 250.00 (दो सौ पचास रु.) मात्र, वनरक्षक श्री शिवशंकर तिवारी परिसर रक्षक इंदिरा उद्यान से वसूल करने के आदेश दिया जाता है तथा शासकीय कार्य में लापरवाही के लिये उन्हें चरित्रावाली चेतावनी दी जाती है एवं भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति को हैमर मिले तो वह हैमर निकटतम थाना में या वन कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार कोई व्यक्ति हैमर को अनाधिकृत रूप से रखते या प्रयोग करते पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

राजेश कुमार चंदेले,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बेमेतरा (छ. ग.)

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंक/परि./2013/435.— दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बांसा पंजीयन क्रमांक 2259 विकासखंड बेरला जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./ उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित बांसा पंजीयन क्रमांक 2259 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री विजय सिन्हा पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, बेरला को दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बांसा पंजीयन क्र. 2259 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंक/परि./2013/436.— खनिज सहकारी समिति मर्यादित नारायणपुर पंजीयन क्रमांक 2620 विकासखंड नवागढ़ जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./ उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है: जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए खनिज सहकारी समिति मर्यादित नारायणपुर पंजीयन क्रमांक 2620 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. ए. अंसारी, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी नवागढ़ को खनिज सहकारी समिति मर्यादित, नारायणपुर पंजीयन क्र. 2620 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

बेमेतरा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंक/परि./2013/437.— जय बजरंग मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित कंवराकापा पंजीयन क्रमांक 2842 विकासखंड नवागढ़ जिला बेमेतरा (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त दो वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्र./ उ. प. बे./परि./2013/377 दिनांक 31-05-2013 जारी किया गया था किंतु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है. जिससे यह स्पष्ट होता है कि समिति को उक्त आरोप स्वीकार है. अत: समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं, एस. के. तिग्गा, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बेमेतरा (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69(2) के प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04-05-2012 द्वारा वेष्ठित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जय बजरंग मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित कंवराकापा पंजीयन क्रमांक 2842 को इस आदेश दिनांक 11-06-2013 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. ए. अंसारी, पद सहकारिता विस्तार अधिकारी, नवागढ़ को जय बजरंग मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, नवागढ़ पंजीयन क्र. 2842 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से आज दिनांक 11-06-2013 को जारी किया गया.

एस. के. तिग्गा,
उप पंजीयक

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 28 मई 2013

क्रमांक/परिस./2013/153.— ऊं निखलेश्वर प्राथ. सह. उपभो. भं. मर्या. साकेतनगर पंजीयन क्रमांक 42 दिनांक 11-8-03 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 30 दिनांक 17-4-13 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजूर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा ऊं निखलेश्वर प्राथ. सह. उपभो. भं. मर्या. साकेतनगर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 28 मई 2013

क्रमांक/परिस./2013/154.— ताज महिला प्राथ. सह. उपभो. भं. मर्या. पाढ़ीमार (बालको) पंजीयन क्रमांक 79 दिनांक 7-3-06 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 31 दिनांक 17-4-13 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक /एफ/5-1-99/पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजूर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा ताज महिला प्राथ. सह. उपभो. भं. मर्या. पाढ़ीमार (बालको) को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, सह. वि. अधि. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 31 मई 2013

क्रमांक/उपंको/परिस./168/2013.— आदर्श मछुआ सह. समिति मर्या. घंवईपुर, वि. खं. कटघोरा पंजीयन क्रमांक 3675 दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 69 दिनांक 25-4-13 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक /एफ/15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) आदर्श मछुआ सह. समिति मर्या. घंवईपुर, वि. खं. कटघोरा, जिला कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री ओ. कुजूर, वरि. सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 31 मई 2013

क्रमांक/उपंको/परिस./169/2013/.— ईंट खपरा सह. समिति मर्या. कटघोरा, वि. खं. कटघोरा पंजीयन क्रमांक 3176 दिनांक .... को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 70 दिनांक 25-4-13 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक /एफ/15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजूर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) ईंट खपरा सहकारी समिति मर्या. कटघोरा, वि. खं. कटघोरा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री ओ. कुजूर, वरि. सह. निरी. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 11 जून 2013

क्रमांक/उपंको/परिस./188/2013.— अन्नपूर्णा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. कोरबा, पंजीयन क्रमांक 3469, दिनांक 24-03-1992 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 को धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक /उपंको/परिसमापन/144/2013 दिनांक 23-05-2013 द्वारा दिया गया था. जिसमें निम्न बिंदुओ को सम्मिलित करते हुए जवाब चाहा गया था.

1. कलेक्टर, (खाद्य शाखा) कोरबा के जांच में समिति में 76.64 लाख रुपये का अनियमितता होना पाया गया है. तत्संबंध में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार राशि जमा करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्र./उपंको/उपभोक्ता/330/2013, कोरबा दिनांक 22-03-2013 तथा पत्र क्र./04/उपंको/उपभोक्ता/2013, कोरबा दिनांक 01-04-2013 एवं पत्र क्र./उपंको/उपभोक्ता/36/2013, कोरबा दिनांक 09-04-2013 के द्वारा उक्त राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था किंतु आपके द्वारा राशि जमा नहीं किया जाकर कलेक्टर एवं विभागीय निर्देशों की अवहेलना की गई.

2. कलेक्टर (खाद्य शाखा) के जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुसार वर्ष 2011-12 का आडिट रिर्पोट में संस्था के बही खाते से लेनदेन नहीं होना पाया गया है.

3. कलेक्टर (खाद्य शाखा) के जांच प्रतिवेदन में अनियमितता पाये जाने पर कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) कोरबा जिला कोरबा के आदेश क्र./618/खाद्य/2013, कोरबा दिनांक 18-03-2013 के अनुसार संस्था द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान वार्ड क्र. 07 एवं इसमें संलग्न वार्ड क्र. 04 एवं 05 को निलंबित कर दिया गया है. इस कारण संस्था अकार्यशील हो गई है.

तत्संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत जवाब का बिंदुवार परीक्षण उपरांत समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ-15-19/15-02/2012/03, रायपुर 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) अन्नपूर्णा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या. कोरबा को परिसमापन में लाता हूं और श्री संतोष कुमार कंवर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, कोरबा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 13 जून 2013

क्रमांक/उपंको/परिस./194/2013.— शिवम् उर्जा उत्पादन सहकारी समिति मर्या. बगदरा, पंजीयन क्रमांक 86 दिनांक 26-4-2006 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 67 दिनांक 25-4-2013 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक /एफ/15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) शिवम् उर्जा उत्पादन सहकारी समिति मर्या. बगदरा, वि. खं. पाली को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. के. ध्रुव , स. वि. अ. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

कोरबा, दिनांक 13 जून 2013

क्रमांक/उपंको/परिस./195/2013.— आजाद कामगार सह. समिति मर्या. मानिकपुर, वि. खं. कोरबा, पंजीयन क्रमांक 71 दिनांक 27-6-2005 को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 68 दिनांक 25-4-2013 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ.

अत: छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक /एफ/15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एन. कुजूर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.) आजाद कामगार सहकारी समिति मर्या. मानिकपुर, वि. खं. कोरबा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एस. के. कंवर, स. वि. अ. को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

एन. कुजूर,
उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 1 अप्रैल 2013

क्रमांक/उपंदु/परि./2013/363.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/475/दिनांक 22-3-04 के द्वारा खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित दुर्ग पं. क्रमांक 2367 के द्वारा श्री बी. एल. पटेल, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री बी. एल. पटेल, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को पदोन्नति उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कांकेर हो जाने के कारण वह कांकेर में पदस्थ हो गये उनके स्थान पर श्रीमति हेमलता देशमुख, सहकारिता विस्तार अधिकारी, दुर्ग को परि. नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 1-4-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्रमांक/उपंदु/परि./2013/399.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/261/दिनांक 3-3-06 के द्वारा मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्यादित, दुर्ग पं. क्रमांक 1909 का परिसमापक श्री पी. के. जैन, सहकारिता विस्तार अधिकारी, दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री पी. के. जैन के निलंबन हो जाने के पश्चात् उनके स्थान पर सहकारिता विस्तार अधिकारी, दुर्ग को मुर्गीपालन सहकारी समिति मर्या. दुर्ग, पं. क्रमांक 1909 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 5-4-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्रमांक/उपंदु/परि./2013/400.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/3423/दिनांक 21-12-95 के द्वारा दुर्ग जिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., शास्त्री चौक केलाबाड़ी पंजीयन क्रमांक 119 का परिसमापक श्री बी. पी. चन्द्राकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री बी. पी. चन्द्राकर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, दुर्ग का सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री आर. एस. तराने, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को दुर्ग जिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., शास्त्री चौक केलाबाड़ी, पंजीयन क्रमांक 119 का परिसमापन नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 9-4-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

दुर्ग, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्रमांक/उपंदु/परि./2013/410.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1991/दिनांक 14-12-2005 के द्वारा ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., पोटियाकला दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 2597 का परिसमापक श्री बी. एल. पटेल, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को नियुक्त किया गया था. श्री बी. एल. पटेल, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग का पदोन्नति कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, कांकेर हो जाने के कारण वह कांकेर में पदस्थ हो गये उनके स्थान पर श्री आर. एस. तराने, सहकारी निरीक्षक, दुर्ग को ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., पोटियाकला दुर्ग, पंजीयन क्रमांक 2597 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 9-4-13 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

डी. एल. राम,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.